मेहरचन्द आदि बनाम प्रभु आदि

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2019

अनवान :

1. मेहरचन्द पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. जयकरण पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. हनुमानसिंह पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

-वादीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र आशा जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. अमरी पुत्री प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार-राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादी
वकील श्री मुन्शीराम गोंस्वामी :प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 08.08.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 120/115 के खसरा नम्बर 76/2 की 3.289 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 की 6.325 हैक्टर कुल किता 2 की 9.614 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी प्रभु वल्द आसा के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि पहले वादीगण के दादा आसा की खातेदारी हुआ करती थी। आसा के देहान्त होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दु होने एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के शासित होने के चलते वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी तथा वादभूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है परन्तु विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी प्रभु ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली। वादभूमि की प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2019 संलग्न है जिससे वादभूमि दादालाई होना साबित है।

वादभूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं. 2 अमरी ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रभु के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादी प्रभु को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा वादभूमि पर इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी प्रभु का बहिस्सा बराबर के अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल जमाबंदी में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रभु के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 अपना

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादगण ने प्रतिवादी सं. 3 को तर्क किया, प्रतिवादी सं. 4 राज पैराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी मेहरचन्द पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम भाडी प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम भाडी सम्वत 2019 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान् अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 120/115 के खसरा नम्बर 76/2 की 3.289 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 की 6.325 हैक्टर कुल किता 2 की 9.614 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी प्रभु वल्द आसा के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम भाडी प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम भाडी सम्वत 2019 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने भी राजीनामा के अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 120/115 के खसरा नम्बर 76/2 की 3.289 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 की 6.325 हैक्टर कुल किता 2 की 9.614 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी प्रभु वल्द आसा के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं01 प्रभु के बजाय वादीगण मेहरचन्द 1/5 हिस्सा, भूपसिंह 1/5 हिस्सा, जयकरण 1/5 हिस्सा, हनुमानसिह 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभु 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2019

अनवान :

1. मेहरचन्द पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र प्रभु जांति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. जंयकरण पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. हनुमानसिंह पुत्र प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र आशा जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. अमरी पुत्री प्रभु जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 120/115 के खसरा नम्बर 76/2 की 3.289 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 की 6.325 हैक्टर कुल किता 2 की 9.614 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी प्रभु वल्द आसा के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं01 प्रभु के बजाय वादीगण मेहरचन्द 1/5 हिस्सा, भूपसिंह 1/5 हिस्सा, जयकरण 1/5 हिस्सा, हनुमानसिह 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभु 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05·08·2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5·8·19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़